पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{26 फाल्गुन, 1936 (श0)}}{\text{17 मार्च, 2015 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) शिक्षा विभाग	..	01
(2) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	01
	कुल योग —	02

कार्रवाई करना

5. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, शिक्षा (प्रा० शि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हिलसा प्रखंड के मध्य विद्यालय बनवारीपुर में कार्यरत शिक्षक अमन कुमार एवं मध्य विद्यालय गौरा में कार्यरत शिक्षक प्रवीण कुमार के नाम से प्राथमिक विद्यालय मोतीबिगहा में दो अलग व्यक्ति कार्यरत हैं तथा दोनों को कार्य के एवज में वेतन भी मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बहाल हुये शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरीफिकेशन काफी समय बीत जाने के बाद भी अभीतक नहीं कराया गया है जबकि 2006 एवं 2010 में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जाँच का जिम्मा जिला शिक्षा कार्यालय, नालन्दा को दिया गया था लेकिन अभीतक जाँच नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसके लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

6. श्री मनोज कुमार सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी जिलों के अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 में 202 स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 202 स्टेडियम के लिये वित्तीय वर्ष 2008 से 2014 तक राशि 6 अरब 66 करोड़ सरकार द्वारा विमुक्त की गई थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 से 2014 तक 202 स्टेडियम का कार्य पूर्ण नहीं हो सका ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 17 मार्च, 2015 (ई०)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 153-डी०टी०पी०-450